

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर , जिला -जांजगीर- चांपा (छ.ग.)

स्वामी विवेकानंद मार्ग सिविल लाईन जांजगीर, जिला - जांजगीर चांपा फेक्स - 07817-222033

क्रमांक / / सू.के.अधि./2017/6118
प्रति,

जांजगीर, दिनांक 5/12/2017

कलेक्टर

सूचना के अधिकार एन.आई.सी

जांजगीर चांपा छ.ग.

विषय :- सूचना के अधिकारी जानकारी भेजने विषयक ।

सन्दर्भ :- टी.एल. में दिये गये निर्देशानुसार ।

— 0 —

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भित पत्र के तारतम्य में निवेदन है कि सूचना के अधिकार के तहत चाही गई जानकारी सी.डी. संलग्न कर भेजा जा रहा है।

जिला शिक्षा अधिकारी
जांजगीर

जिला - जांजगीर- चांपा (छ.ग.)
जांजगीर, दिनांक 05/11/2017

क्रमांक / / कीडा / 2017 / 6119
प्रतिलिपि :-

1. छ.ग.राज्य सूचना आयोग शास्त्री चौक रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित ।

जिला शिक्षा अधिकारी
जांजगीर

जिला - जांजगीर- चांपा (छ.ग.)


कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर , जिला –जांजगीर– चांपा (छ.ग.)

स्वामी विवेकानंद मार्ग सिविल लाईन जांजगीर, जिला – जांजगीर चाम्पा फेक्स – 07817-222033

सूचना के अधिकार अधिनियम 20015 की धारा (4) से संबंधित 17 बिन्दुओं की जानकारी

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	अपने संगठन की विशिष्टिया कृत्य और कर्त्तव्य	जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर चांपा श्री जी.पी. भास्कर कार्य क्षेत्र शैक्ष.जिला जांजगीर कार्य शक्तियों प्रशासनिक एवं वित्तीय अपीलीय अधिकारी का कार्य है।
2	अपने संगठन के अधिकारियों /कर्मचारियों की शक्तियों और कर्त्तव्य	शिक्षक/लिपिक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति/वित्तीय प्रकरणों के निपटारा जन शिकायतों का निराकरण, स्कूलो निरीक्षण
3	अपने विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित शाखा के लिपिक के द्वारा नोटशीट के माध्यम से प्रस्तुत करने पर स्वीकृति/दण्डात्मक कार्यवाही एवं शाखाओं का निरीक्षण कर कार्यों में सुधार हेतु आदेश दिये जाते है।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान	राज्य शासन द्वारा प्रायोजित नियमो/निर्देशों के अन्तर्गत शिक्षा विभाग के कार्य संपादित किये जाते है।
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम विनियम एवं अनुदेश	अपने या अपने कर्मचारियों के द्वारा शिक्षा संहिता, मूलभूत नियम छ.ग., छ.ग. वित्त संहिता, छ.ग आचरण नियम,छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण अपील) छ.ग. पेशन/सामान्य भविष्य निधि आदि नियमों का प्रयोग अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु किया जाता है।
6	ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये है अथवा उनके नियुत्रण में है।	इस कार्यालय में लिपिकों के द्वारा संबंधित शाखा के दस्तावेजों की नस्ती तैयार किया जाता है तथा कम्प्यूटरों में जाने जानकारी लोड कर रखा जाता है।
7	ऐसी व्यवस्था का विवरण जो उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के संबंध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।	निति/नियम का निर्धारण सामान्यतः शासन द्वारा किया जाता है जिसके तहत लोक सदस्यों के अभ्यावेदनों पर कार्यवाही/निराकरण किया जाता है।
8	बोर्ड, परिषदों समितियों और अन्य निकायों के विवरण, जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हो और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिये की गई हो, और यह विवरण कि क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक क कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ है।	निरंक
9	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	शैक्षणिक जिला जांजगीर के अन्तर्गत शिक्षा विभाग के शिक्षक/लिपिक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति/वित्तीय प्रकरणों /अवकाश प्रकरण/ कर्मचारी अथवा शिक्षकों के शिकायतों पर कार्यवाही कर प्रकरण निपटाना/ शालाओं का सतत निरीक्षण कर शिक्षा में सुधार एवं व्यवस्था बनाने हेतु शिक्षको को निर्देश देना शिक्षा से संबंधित जन शिकायतों का निराकरण करना/ परीक्षा संचालन हेतु अधिकारी/कर्मचारियों की व्यवस्था करना आदि।
10	अपने प्रत्येक अधिकारी /कर्मचारी द्वारा विनियमों में अथवा क्षतिपूर्ति की प्रणाली सहित प्राप्त किया गया मासिक पारिश्रमिक।	निरंक
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित परिव्यय और किये गये आहरणों संबंधी रिपोर्ट सामग्री को दर्शाते हुए इसके अभिकरण के आर्बटित बजट।	योजनाओं को प्राप्त आंबटन /व्यय की जानकारी देना है।

12	आंबटित राशि सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का ढंग और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का ब्यौरा।	1.सरस्वती साइकल प्रदाय योजना –हाई स्कूल के हरिजन/ आदिवासी/गरीब छात्राओं को निःशुल्क साईकिल प्रदाय 2. मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराना 3. निर्माण कार्य– स्कूलों के भवन/शौचालय/पेयजल/ आहाता निर्माण आदि की व्यवस्था। 4. गणवेश वितरण– प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के छात्रों को निःशुल्क में शाला गणवेश उपलब्ध कराई जाती है।
13	अपने द्वारा मंजूर की गई रियायतों, अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं का विवरण।	निरंक
14	अपने पास इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध अथवा धारित की गई सूचना के संबंध में ब्यौरा	जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर कार्यालय में कार्यालयीन कार्य का सम्पादन हेतु कम्प्युटर, प्रिन्टर, स्कैनर आदि उपलब्ध है तथ सूचना हेतु ई मेल का उपयोग किया जाता है।
15	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं के ब्यौरे, जिनमें जनसाधारण के लिए उपलब्ध पुस्तकालय या वाचन कक्ष के ब्यौरे भी सम्मिलित हो।	सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त आवेदनों का निराकरण कर संबंधित आवेदकों को सूचना डॉक द्वारा/ व्यक्तिगत उपस्थित होने पर दी जाती है तथा जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम व अन्य विशिष्टिया।	श्री जी.पी. भास्कर जिला शिक्षा अधिकारी जिला-जांजगीर चांपा छ.ग.
17	अन्य उपयोगी जानकारी	निरंक


 जिला शिक्षा अधिकारी
 जांजगीर
 जिला – जांजगीर– चांपा (छ.ग.)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर , जिला –जांजगीर– चांपा (छ.ग.)